Date 12/05/2020 Page- 1 to 5

B.A., PART- IST
POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH: 09 (CONCEPT OF LIBERTY)
LECTURE NO. - 26 (TWENTY SIX)

By. OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु आवश्यक शर्तें अथवा परिस्थितियाँ या दशाएँ :

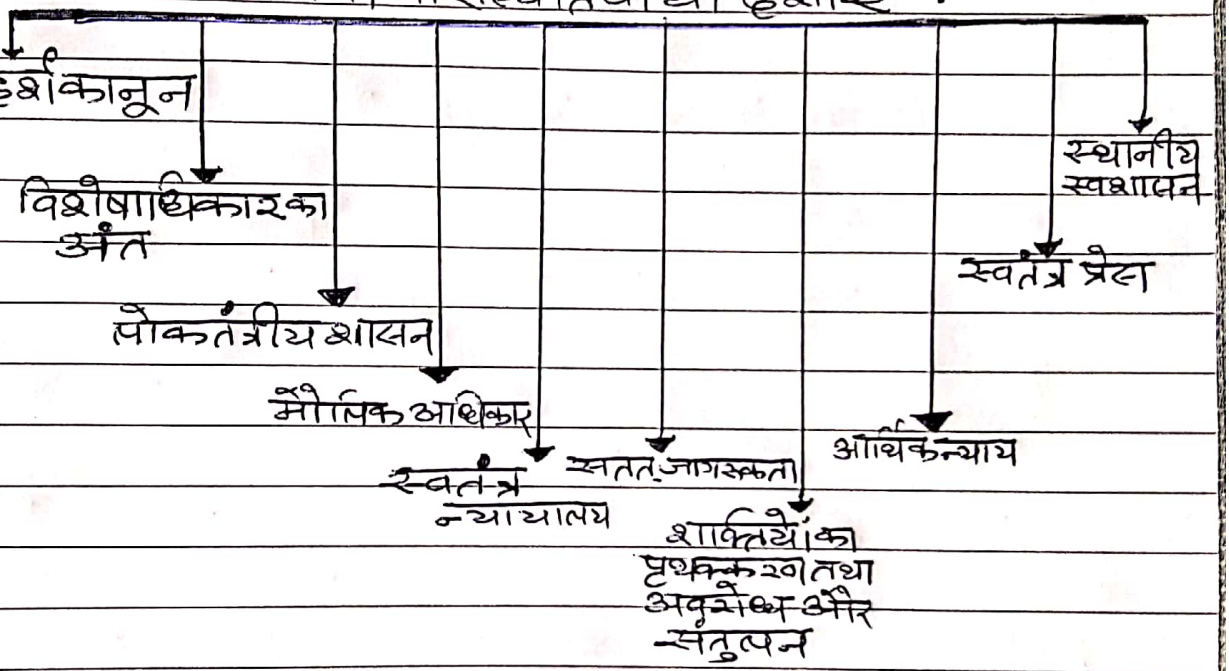

- आदर्श कानून
- विशेषाधिकार का अंत
- लोकतंत्रीय शासन
- मौलिक अधिकार
- स्वतंत्र न्यायालय
- सतत जागरूकता
- शक्तियों का पृथक्करण तथा अवरोध और संतुलन
- आर्थिक न्याय
- स्वतंत्र प्रेस
- स्थानीय स्वशासन

(1) आदर्श कानून —

व्यक्ति समस्त स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में ही ~~रहकर~~ कर सकता है और राज्य कानूनों के द्वारा ही इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इसीलिए जरूरी है कि राज्य ऐसे आदर्श कानून का निर्माण करे जिससे कि व्यक्तियों के समस्त स्वतंत्राओं की रक्षा हो सके और व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ भी प्राप्त हो सकें। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए माण्टेस्क्यू ने कहा है कि "मुख्यतया स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गये दंड की मात्रा पर निर्भर करती है।"

Saathi

Date __/__/____

(2) विशेषाधिकार का अंत—

समाज में किसी भी को उसके धर्म, जाति, लिंग, सम्प्रदाय या सम्पत्ति के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा समाज में विद्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना प्रबल हो जाएगी। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे और इतर लोग हीनता की भावना से ग्रसित होकर स्वतंत्रताओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन्हीं कारणों से स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकार का अंत नितांत आवश्यक है।

लॉस्की के शब्दों में, "यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिए गए हों तो उस दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता।"

(3) लोकतंत्रीय शासन—

लोगों को अपनी स्वतंत्रता के हनन होने का डर सबसे अधिक शासन से होता है, परन्तु यदि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो तो यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। चूँकि इस व्यवस्था में जनता शासित एवं शासक दोनों की भूमिका में होती है। शासन की अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है जिससे स्वतंत्रता के हनन होने की संभावना नहीं के बराबर होती है।

उपर्युक्त कारणों की वजह से ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतंत्रीय शासन ही सर्वोत्तम समझा जाता है, किन्तु इस शासन व्यवस्था में आवश्यक यह भी है कि जनता में भी लोकतंत्रीय भावना हो अर्थात् बहुमत में न्यायप्रियता और अल्पमतों में सहनशीलता का भाव होना चाहिए।

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

(4) मौलिक अधिकार —

कुछ ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीने के लिए परम आवश्यक है, संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका उपयोग व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कर सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं, वरन् राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी वजह से वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से दुनिया में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जैसे - भारत, अमरीका, रूस, आयरलैण्ड, फ्रांस आदि।

(5) स्वतंत्र न्यायालय :

स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना भी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु परम आवश्यक है। न्यायालय के कार्यों में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो अन्यथा वे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा समुचित रूप से नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही न्याय प्रणाली इस प्रकार की हो कि सभी को बिना किसी भय या भेदभाव से शीघ्र न्याय मिले एवं निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव स्वतंत्रता एक छलावा है।

(6) सतत जागरूकता —

स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और स्वतंत्रता का हनन होने पर इसका विरोध करें। नागरिक जितने जागरूक होंगे उतने ही अधिक स्वतंत्रता का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे।

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लास्की के अनुसार, "नागरिकों की महान भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है।"

थामस जैफरसन के शब्दों में, "कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय-समय पर वहाँ की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती हो।"

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सतत जागरूकता आवश्यक है।

(7) शक्तियों का पृथक्करण तथा अवरोध और संतुलन —

स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत का अपनाना जरूरी होता है। सरकार के तीनों अंगों में शक्ति का उचित पृथक्करण हो एवं अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपनाते हुए तीनों में गहरे सम्बंध की व्यवस्था हो। न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता बनी रहे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण होगा और ठीक प्रकार से इन्हें क्रियांवित किया जा सकेगा।

(8) आर्थिक न्याय —

आर्थिक न्याय भी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। बहुत हद तक आर्थिक न्याय के बिना स्वतंत्रता का उपयोग सम्भव नहीं है। समाज में सभी को बिना किसी भेदभाव के मूलभूत

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा कर ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा स्वतंत्रता एक ही वर्ग का हित बनकर रह जाएगी।

(9) स्वतंत्र प्रेस :

प्रेस को लोकतंत्र का चौथा माना गया है। चूँकि स्वतंत्र प्रेस शासन को मर्यादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य स्वतंत्र प्रेस की माध्यम से किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख साधन स्वतंत्र प्रेस ही है।

(10) स्थानीय स्वशासन —

स्वतंत्रता के संरक्षण में स्थानीय स्वशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा ही नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ~~लॉस्की~~ के शब्दों में, "राज्य में सत्ता का जितना अधिक वितरण होगा, जितना अधिक विकेंद्रीकृत उनकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा।"

x —— x —— x —— x —— x —— x

संभावित प्रश्न :

स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक शर्तों अथवा परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Scanned with CamScanner